



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग को आपराधिक धमकी देने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 79/17 धारा-354क,506, भा0द0सं0 व 08 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दयाशंकर पुत्र गंगाराम उर्फ भागू निवासी-उमरिया थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप  
सिंह



विवेचक-  
उ0नि0 सत्यविजय  
सिंह



पैरोकार- थाना जरिया  
का0 सन्तोष यादव